UPSI120001092009

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–766/2002

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

बनाम

01. बिहारी पुत्र मातादीन लोनिया (मृतक दौरान मुकदमा)
02. बृजमोहन पुत्र बाबूपासी।
03. मयाराम पुत्र पुत्तू लोनिया।
04. पिन्टू पुत्र छोट्टन लोनिया। निवासीगण उल्लहा, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।

.....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या–131/2002
धारा–147, 148, 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं०
थाना रेउसा, जनपद– सीतापुर।

निर्णय

वादी मुकदमा मिल्खा सिंह, के द्वारा थाना रेउसा, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना रेउसा की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण बिहारी, बृजमोहन, मयाराम व पिन्टू के विरुद्ध अपराध संख्या–131/2002, अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा मिल्खा सिंह ने थाना रेउसा पर उपस्थित आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवायी कि आज रात हम अपने दरवाजे पर लेटे थे उसी समय चार आदमी आकर मुझे दबाने की कोशिश किया मैंने उठने का प्रयास किया तब तक विपक्षी गाली गलौज देते हुए हमें लाठी से पीटने लगे मैंने काफी बचाव का प्रयास किया विपक्षी ने हमें मारा पीटा पैरों के सर तथा हाथों में चोटें आयी है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा की जाय जो लिखाया लिखा गया सुनकर इत्मीनान किया।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना रेउसा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 131/2002, अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण पवन कुमार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनाँक 23.02.2007 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को अभियक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरिचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.06.08 18:03:44 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan

क्रम०सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार
1.	मिल्खा सिंह	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
2.	कुलवंत सिंह	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
3.	हरबचन कौर	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	प्रलेख	प्रदर्श
1.	आरोप पत्र	–
2.	तहरीर	क [1]
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	–
4.	नक्शा नजरी	–
5.	चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट मिल्खा सिंह	–

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियुक्त बिहारी की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक 14.05.2026 को अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत है, साक्षी पी०डब्लू० 1 मिल्खा सिंह, पी०डब्लू० 2, कुलवंत सिंह, पी० डब्लू० 03 हरिबचन कौर के बयान के विषय में नहीं जानते, मुकदमा मारपीट का चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्ष्य विश्लेषणः– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

साक्षी मिलखा सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि– घटना साढ़े 6 साल पहले 3 बजे रात की है। ता० 26.09.2005 की है। घटना मेरे घर पर की है। उस रात मैं घर के बाहर लेटा हुआ था। मच्छरदानी लगी हुई थी। करीब 8 बजे ये आये बिहारी पुत्र मातादीन, बृजमोहन पुत्र बाबू, पिन्टू पुत्र छोट्टन, मेवा, मायाराम, पुत्तू का लड़का है। ये उल्छा थाना सकरन का रहने वाले है। हैं। बाकी को पहचान नहीं पाया था। लैम्प जल रही थी, की रोशनी में मुल्जिमानो को पहचाना था। हाजिर अदालत मुल्जिमान को गवाह ने पहचाना। एक मुल्जिमान के हाथ में कांता था। बाकी के हाथ में लाठी थी। मुल्जिमान मुझे दाब लिए। मुल्जिमान मुझे मारते रहे मैं जल्दी से तलवार निकाल कर रोकता रहा और मेरे हाथ में लाठी को चोटें आयी थी। मेरा बांया हाथ टूट गया था। कांता से मेरे सर व बायें हाथ में चोट आयी थी। कांता बृजमोहन के हाथ में था। मुल्जिमान यह जानते थे कि मुझे जमीन का बैनामा कराना है। जमीन का पैसा मेरे पास रखा है। मुल्जिमान मुझे दबाकर ले जाना चाहते थे। विरोध करने पर मारा पीटा था। मुल्जिमान पहले मेरे पास मजदूरी किया करते थे। मैंने नया मकान बनवाया था, उसमे मजदूरी किये थे। मुल्जिमान मारते समय माँ बहन मादरचोद गाली देते थे। जब मार रहे थे। शोर शराबा से लक्ष्मीसिंह, व मकबिन्द सिंह का गये थे और महेन्द्र सिंह आ गये थे। मेरी पत्नी व लक्ष्मण का बेटा कृपाल सिंह आ गये थे। कुलवंत सिंह के हाथ में टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में देखा था। घटना की रिपोर्ट लिखाने गये थे। N.C.R लिखी गयी की कॉपी मिली थी, जो इधर उधर रख देने में कहीं खो गयी है। मेरी चोटें की डाक्टरी रेउसा में हुयी थी तथा एक्स –रे अगले

दिन सीतापुर में हुआ था। 9–10 माह बाद मेरी घटना की जांच दरोगा जी ने किया था। बयान दिया था। मौका मुआयना किया था। मैं कई बार थाना गया था मेरी पूँछ नही हो रही थी। तब ऊपर प्रार्थना पत्र SSP को दिया था, तब मुकदमें की जांच शुरू हुई थी। ये आठो मुल्जिमान एक साथ आये थे।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे पुराने मकान का दरवाजा दक्षिण तरफ है। इस मकान के उत्तर खेत है। पूर्व लाल सिंह का मकान है। मेरे पुराने मकान के पश्चिम में मेरा खेत है। मेरे पुराने मकान के दक्षिण पश्चिम कोने में मेरा नया मकान बना हुआ है। लाल सिंह व महेन्द्र सिंह का मकान की दूरी 10 खेत की दूरी पर है। मेरे पुराने मकान के आगे छप्पर पड़ा हुआ था। जो गिरा हुआ था। उसके आगे छप्पर पड़ा था। यह छप्पर थोड़ी दूरी पर हरहा के लिए पड़ा था। मेरे परिवार में 3 लोग हैं। घटना के दिन खाना पानी खाकर 9 बजे लेट गया था। मैं पुराने घर के आगे जो छप्पर है उसके दक्षिण तरफ लेटा था। मेरे और पश्चिम की तरफ थे। सर पूरब की तरफ था। मेरी बीबी नये मकान में थी, लड़का पुराने मकान के के बरामदे में था। रात अंधेरी थी। 3 बजे का समय था। लैम्प जल रही थी जहाँ लड़का सो रहा था, उसके बाहर लैम्प रखा था। लैम्प जल रहा था। लैम्प मुझसे 10 फिट की दूरी पर रखा थी। लैम्प वाली बात दरोगा जी को बताया था। मुझे N.C.R में लैम्प वाली बात नहीं लिखवाई थी। मैं बंधे पहोड़ा था, जाग रहा था। ये 8 आदमी दक्षिण तरफ से आये थे। मुल्जिमानों ने मुझे दबा लिया था, तब मैंने मुल्जिमानों को पहचाना है। सभी मुल्जिमान मुँह नहीं बांधे थे। उत्तर की तरफ से सब मुल्जिम बाबा का। पकड़ते समय नहीं जान पाया था, जब उठकर बैठे थे, तब पहचाना था 5 मुल्जिमानों ने दाबा था। 3 मुल्जिमानों लड़के के पास चले गये थे। 5 मुल्जिमानों में 3 मुल्जिमानों को जानता हूँ, जिन्होंने पकड़ा था। बृजमोहन, बिहारी, पिन्टू ने पकड़ा था करीब डेढ़ मिनट तक मुल्जिमान मुझे पकड़े थे। मार–पीट 5–6 मिनट लगभग हुई थी। मैं गिन नहीं पाया था कितना चोट लगा था। बाद में गिर गया था। महेन्द्र गवाह जैसे ही उठाया था वैसे ही मार पीट कर खत्म किये, जैसे ही आ गये हैं। गवाहों के सामने ही मुल्जिमान भागे हैं। मुल्जिमान जब भागे हैं, मैंने नहीं दौड़ाया क्योंकि मुझे बहुत चोटें लगी थी। थाना रिपोर्ट लिखवाने सुबह गये थे। रिपोर्ट लिखी गयी थी। मैं पढ़ नहीं पाया था। रिपोर्ट मेरे सामने नहीं लिखी गयी थी। रिपोर्ट पर दस्तखत किया था। गलत बात मैंने नहीं लिखाया है। यह कहना गलत है कि मैं किसी मुल्जिमान को पहचान न पाया हूँ। डॉक्टरी मैंने उसी दिन कराया था। दरोगा जी घटना 9–10 माह बाद आये थे। जब दरोगा जी बयान लेने आये थे तब मैंने मुल्जिमानों का नाम बताया था। यह कहना गलत है कि उल्हा के लाला के कहने पर मुल्जिमानों का नाम लिखाया है। मुल्जिमान मेरे यहाँ मजदूरी करते थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों का पैसा की पेंमेंट बाकी है। मेरे यहाँ यही डकैती है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों का पैसे के बाबत में रंजिश पहले से रही है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने मुझे मारा पीटा न हो।

साक्षी पी०डब्लू० 2 कुलवंत सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि– घटना दिनांक 25/26–09–2001 समय रात के 3 बजे करीब की सुबह की घटना है। घटना मेरे घर के दरवाजे की घटना है। मेरे पिता जी मिल्खा सिंह के चिल्लाने पर मैं सोये हुए उठा कि मैंने देखा कि 8 लोग मेरे पिता जी को मार रहे थे। गाली गुप्ता मादरचोद, बहनचोद की गाली दे रहे थे। मौके पर लालटेन की रोशनी जल रही थी और हाथ में टार्च थी। देखा था। घटना के समय 4 लोगों की पहचान था। हाजिर मुल्जिमान न्यायालय में उपस्थित है। बिहारी , मयाराम, मुल्जिमान, पिन्टू नाम है। ये मुल्जिमान हाजिर अदालत है। चारों लोग घटना के समय थे। बृजमोहन मुल्जिम के हाथ में कांता था। बाकी के हाथ में लाठी डण्डा थे। बृजमोहन ने कांता से मारा था जो मेरे पिता जी के बांह में लगा था। मौके पर मेरे अलावा मक्खन सिंह, महेन्द्र सिंह, लाल सिंह और मेरी माँ बचन कौर आ गयी थी। मुल्जिमानों को यह बता पता थी कि मेरे घर में खेत खरीदने के लिए कैश रखा है। मुल्जिमान हाजिर अदालत घटना के पहले मेरे यहाँ नौकरी करते थे। धान काटने, ईंट गारा का काम किये थे। मेरे पिता जी को मुल्जिमान के मारने से बांह में चोट आयी थी। हाथ की हड्डी टूट गयी थी। घटना के 11 माह बाद दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरे पिता जी को डाक्टरी रेउसा में

हुआ था, एक्स–रे सीतापुर में हुआ था। दरोगा जी इस लिए देर से बयान लिया था, सुनलीयी नहीं हो रही थी, तब हमलोगों ने प्रार्थना पत्र दिया तब बयान लिया गया था। इन –चारों मुल्जिमानों के अलावा अन्य 4 मुल्जिमानों को नहीं पहचान पाया था। बचाव पक्ष द्वारा

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने बयान किया है कि मेरे दो मकान हैं एक पुराना मकान है, एक नया मकान है। पुराने मकान का दरवाजा दक्षिण तरफ है। दरवाजे के आगे छप्पर पड़ा है। पुराने मकान से नया मकान 35–40 फुट की दूरी पर है। जब घटना हुई थी तब मैं पुराने मकान में था। पिता जी पुराने मकान के दक्षिण में छप्पर के आगे सोये हुए थे। मैंने अपने पिता जी का शोर लगभग 3 बजे रात को सुना था। सुनकर खड़े होकर टॉर्च से देखा कि मेरे पिता जी को 8 लोग मार रहे थे। अन्दाजन में मुल्जिमान 10–12 लाठी मारे थे। मार–पीट लगभग 5–6 मिनट तक हुयी थी। जहाँ पर मारपीट हो रही थी वहाँ पर मैं नहीं पहुंचा था। मेरी माता जी मौके पर आ गयी थी। बाप के पास पहुंची थी। घटना जब हो रही थी तब मेरे चाचा व चाचा के लड़के पहुंच गये थे। ये लोग चाचा और उनके लड़के पूर्व की तरफ से आये थे। ये लोग मौके पर पहुंच गये थे। मुल्जिम को आते हुए नहीं देखा था। जाते हुए दक्षिण तरफ देखा था। थाना मैं नहीं गया था मेरे पिता जी गये थे। डाक्टरी उसी दिन करवाया था। दारोगा जी घटना के 11 माह बाद बयान लेने आये थे। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न हुयी हो। दारोगा जी ने टॉर्च नहीं देखी थी। यह कहना गलत है कि मैंने ऐसी घटना न देखी हो। मेरे पिता जी मुद्दई होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ।

साक्षी पी० डब्लू० 3 हरबचन कौर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि– घटना पौने 7 साल पहले की है। रात के ढाई–3 बजे की है। तारीख याद नहीं है। कुआर का महीना था। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे पति मिल्खा सिंह पुराने घर के बाहर सो रहे थे। करीब 8 लोग आये थे, मेरे पति को मारने लगे। एक के हाथ में बांका था। बाकी लोगों के हाथ में लाठियाँ थीं। मैंने देखा था, मुल्जिमान लाठियाँ चला रहे थे। बैदू की रोशनी में देखा था। जब मेरे पति मिल्खा सिंह के चिल्लाने पर पहुँची थी तब निकल कर देखी थी। मेरे पति के सर से खून निकल रहा था। मेरे पति मिल्खा सिंह की बांह भी टूट गयी थी। मारने वाले मुल्जिम बिहारी न्यायालय में है। दूसरा मुल्जिम बृजमोहन न्यायालय में उपस्थित है। पिन्टू न्यायालय में नहीं है। मयाराम अभियुक्त न्यायालय में है। इस घटना के पहले से मुलिजमानों को जानती हूँ जो पहले से मेरे यहाँ मजदूरी करते थे। तब गाँव के लाभ सिंह, मक्खन सिंह, छेदा सिंह आ गये थे। बीच बचाव किया। खेत खरीदने के लिए हमारे यहाँ पैसा रखा था, उसी को लेने के लिए मुल्जिमान आये थे। मेरा लड़का कुलवंत भी मौजूद था। दरोगा जी ने पूँछ–ताँछ किया था। मुल्जिमान गन्दी गन्दी गालियाँ दे रहे थे। बृजमोहन के हाथ में बांका था।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाली रात अंधेरा था। घटना के समय मेरे दो मकान थे। पुराने मकान का दरवाजा दक्षिण तरफ है। पुराने मकान से नया मकान पश्चिम तरफ नया मकान बना है। दोनों मकान के बीच की दूरी 10–12 कदम है। नया मकान चारों तरफ से बन्द है। घटना के दिन नया मकान का दरवाजा खुला था। नये मकान का दरवाजा चारों तरफ है। नये मकान में कमरे में मैं लेटी थी। मुल्जिमानों को आते हुए नहीं देखा था। यह शोर मार पीट हो रही थी तब 3 बजे सुना था। शोर सुनकर मैं मौके पर गयी थी। जब मार रहे थे, दक्षिण तरफ मेरा पीठ था। मुल्जिमान सरदार मिल्खा सिंह के चारों तरफ खड़े हुए वार कर रहे थे। यह मार पीट 5–6 मिनट तक हुई थी। मैंने 4 मुल्जिमानों को मारते हुए देखा था। 4 मुल्जिमान भाग गये थे। मैंने टॉर्च की रोशनी में मुल्जिमानों को देखा था। दरोगा जी आये थे। घटना के 10–15 दिन बाद दरोगा जी आये थे। मैंने दरोगा जी को टॉर्च दिखाया था। दरोगा जी ने टॉर्च की लिखा पढ़ी की थी कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। बृजमोहन वगैरह मेरे यहाँ मजदूरी करते थे। यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिमानों को मजदूरी न दी हो, इस रंजिश से झूठा मुकदमा किया है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने मेरे पति को मारा पीटा न है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 01 मिल्खा सिंह ने न्यायालय के समक्ष खुले न्यायालय में कथन किया है कि घटना साढ़े 6 साल पहले 3 बजे रात की है। ता० 26.09.2005 की है। मुल्जिमान मुझे मारते रहे मैं जल्दी से तलवार निकाल कर रोकता रहा और मेरे हाथ में लाठी को चोटें आयी थी। मेरा बांया हाथ टूट गया था। मुल्जिमान मुझे दबाकर ले जाना चाहते थे। विरोध करने पर मारा पीटा था। मुल्जिमान मारते समय माँ बहन मादरचोद गाली देते थे। साक्षी पी०डब्लू० 02 कुलवंत सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना दिनांक 25/26–09–2001 समय रात के 3 बजे करीब की सुबह की घटना है। घटना मेरे घर के दरवाजे की घटना है। मेरे पिता जी मिल्खा सिंह के चिल्लाने पर मैं सोये हुए उठा कि मैंने देखा कि 8 लोग मेरे पिता जी को मार रहे थे। गाली गुप्ता मादरचोद, बहनचोद की गाली दे

रहे थे। साक्षी पी०डब्लू० 03 हरबचन कौर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना पौने 7 साल पहले की है। रात के ढाई–3 बजे की है। तारीख याद नहीं है। मेरे पति मिल्खा सिंह पुराने घर के बाहर सो रहे थे। एक के हाथ में बांका था। बाकी लोगों के हाथ में लाठियाँ थीं। मैंने देखा था, मुल्जिमान लाठियाँ चला रहे थे। बैदू की रोशनी में देखा था। जब मेरे पति मिल्खा सिंह के चिल्लाने पर पहुँची थी तब निकल कर देखी थी।

निष्कर्ष

साक्षी चोटिल (injured) मिल्खा सिंह के बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित की गयी। उपरोक्त साक्षियों ने सुसंगत तथा स्पष्ट बयान दिये हैं जिसको **धारा 6 साक्ष्य अधिनियम 1872** के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त साक्षी कुलवंत सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मेरे पिता जी मिल्खा सिंह के चिल्लाने पर मैं सोये हुए उठा कि मैंने देखा कि 8 लोग मेरे पिता जी को मार रहे थे। गाली गुप्ता मादरचोद, बहनचोद की गाली दे रहे थे। इसके अतिरिक्त साक्षी हरबचन कौर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि करीब 8 लोग आये और मेरे पति को मारने लगे। इसके अतिरिक्त साक्षी मिल्खा सिंह जो कि चोटहिल (injured witness) ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट बयान दिया है कि मुल्जिमान मुझे दबा कर ले जाना चाहते थे विरोध करने पर मारा पीटा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा आख्या पत्रावली पर दर्ज है परन्तु उपरोक्त डॉ० जो गवाह है ने न्यायालय में आकर इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं किया है। मात्र अपना मत (Opinion) न्यायाल के समक्ष दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 01 तथा साक्षी पी०डब्लू० 02 चश्मदीद साक्षी हैं।

पत्रावली पर साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करना सुरक्षित नहीं है और ऐसे साक्ष्य जो कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं रखते है, को सजा का आधार बनाना एक भारी भूल होगी तथा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करना ही समीचीन प्रतीत होता है।

क्योंकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उपलब्ध साक्ष्य में से महत्वपूर्ण साक्ष्य निकाले अर्थात न्यायालय का कार्य भूसे में गेहूं निकालने जैसा ही है। एक गवाह का साक्ष्य कुछ सच हो सकता है तथा कुछ झूठ हो सकता है तब ऐसी दशा में न्यायालय को महत्वपूर्ण व प्रमाणित साक्ष्य खोज निकालना चाहिए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रलिखित नजीर में अभिनिर्धारित किया गया है। **" 2010 (71) ACC 947 (SUPREME COURT) Ranjit Singh & etc. Vs. State of Madhya Pradesh"** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"The maxim falsus in uno, falsus in omnibus** (false in one thing, false in every thing) is neither a sound rule of law nor a rule of practice. Hardly one comes across a witness whose evidence does not contain a grain of untruth or any rate ex–aggerations, embroideries or embellishments. It is therefore the duty of the court to scrutinise th evidence carefully and in terms of the felicitous metaphor, **separate the grain from the chaff.** But it cannot obviously disbelieve the substratum of the prosecution case or the material parts of the evidence and reconstructed a story of its own out of the rest." **(Ugar Ahir and others Vs. State of Bihar).** It is well settled in law that the maxim falsus in uno, falsus in omnibus (false in one false in all) does not apply in criminal cases in India, as a witness may be party truthful and partly false in the evidence he gives to the court. In view of the above, the law can be summaised to the effect that the aforesaid legal maxim is not applicable in India and the cout has to assess to what extent the deposition of a witness can be relied upon. The court has to separated the falsehood from the truth and it is only in exceptional circumstances wherein it is not possible

to separate the grain from the chaff because they are inextricably mixed up, that the whole evidence of such a witness can be discarded.

इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा नियमानुसार विवेचना की गयी है। मौके पर जाकर घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया गया है, जहां पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी थी। विवेचक एक औपचारिक साक्षी होता है जोकि घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं होता है, जिस कारण जब तक कि अभियोजन प्रपत्रों की संदिग्धता पर प्रश्न न उठाया जाये तब तक विवेचक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रपत्र सही होते है जिस कारण यदि विवेचक किसी कारणवश गवाही हेतु उपस्थित नहीं होता है तो भी अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा नियमानुसार विवेचना की गयी है। मौके पर जाकर घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया गया है, जहां पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी थी। विवेचक एक औपचारिक साक्षी होता है जोकि घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं होता है, जिस कारण जब तक कि अभियोजन प्रपत्रों की संदिग्धता पर प्रश्न न उठाया जाये तब तक विवेचक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रपत्र सही होते है जिस कारण यदि विवेचक किसी कारणवश गवाही हेतु उपस्थित नहीं होता है तो भी अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नजीर **"2000 (1) JIC 786 (SC) SUPREME COURT– 'Ambika prasad & Anr. etc. Vs. State (Delhi Administration, Delhi) WITH 'Ram Chandar vs. The State (Delhi Administration)' AND 'Rajinder Singh vs. The State (Delhi Administration)'** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Non examination of Investigationg officer–not a ground for disbelieve evidence of injured eye–witnesses. Independent witnesses not willing to co–operate with investigation–Not ground for rejecting evidence of injured witness.

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सूक्ष्मता एवं गहनता से अध्ययन करने व विश्लेषण करने एवं धैर्यपूर्वक विचार करने के उपरान्त न्यायालय के अभिमत में अभियोजन यह तथ्य युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा मिल्खा सिंह को मारा पीटा गया, विधि विरुद्ध जमाव किया गया। धारदार हथियार फरसा से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव किया गया। धारदार हथियार से उपहति कारति की गयी व गन्दी गन्दी गालियाँ दी गयीं।

अतः अभियुक्तगण बृजमोहन, मयाराम व पिन्टू को धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता 1908 के तहत युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होता है अतः अभियुक्तगण को धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता 1908 के अपराध से दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण बृजमोहन, मयाराम व पिन्टू को अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1908 के दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है ।

अभियुक्तगण विचारण के दौरान दाखिल की गयी जमानतों पर रिहा थे किन्तु अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया है जिस कारण विचारण के दौरान दाखिल किये गये जमानतनामें निरस्त किये जाते है और जामिनदारों को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गयी जमानतें अग्रिम छः माह तक वैध रहेंगी, परन्तु अभियुक्तगण अपील के दौरान इन जमानतों पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्राधिकृत नहीं होंगे।

पत्रावली सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पुनः पेश हो।

दिनाँक 08.06.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतपुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 08.06.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक 08.06.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतपुर।

लंच बादः–

पत्रावली लंच बाद सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व अपराध कारि करने के ढंग को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को **आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958** के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अपराध किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कारित किया नहीं होता है बल्कि समाज के विरुद्ध कारित किया गया होता है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से समाज पर पड़ता है।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **बृजमोहन, मयाराम व पिन्टू** को दण्डित किये जाने के स्थान पर उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाता है। सजा के प्रश्न पर तुरन्त दण्डित करने के बजाय दोषसिद्ध अभियुक्त को एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर भेजा जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण आज की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपना सदाचरण बनाये रखने हेतु बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व एक प्रतिभू **जिला प्रोबेशन अधिकारी सीतापुर** के समक्ष इस आशय का निष्पादित करें कि वह परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई अपराध कारित नहीं करेंगे, सदाचार बनाये रखेंगे और शान्ति बनाये रखेंगे। यदि उनके द्वारा परिवीक्षा के दौरान परिवीक्षा के शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उन्हें आहूत कर दोषसिद्ध किये गये अपराध में नियमानुसार दण्डित किया जाएगा। दोषसिद्ध अभियुक्तगण परिवीक्षा काल में **जिला प्रोबेशन अधिकारी, सीतापुर** की देख–रेख में रहेंगे।

आदेश की प्रति **जिला प्रोबेशन अधिकारी, सीतापुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। आदेश की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनाँक 08.06.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 08.06.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक 08.06.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–